

राजस्थान सरकार  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:एफ.97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2014

जयपुर, दिनांक: 2/2/2015

परिपत्र

डिजिटाइज्ड राशनकार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

राशनकार्ड का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानित दर पर दिये जाने वाले खाद्यान्न, केरोसीन एवं चीनी इत्यादि को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। विभाग द्वारा राशनकार्ड अभियान - 2012 के तहत डिजिटाइज्ड राशनकार्ड (DRC) बनवाए गए हैं। राशन कार्ड अभियान 2012 में बनाये गये सभी नये डिजिटाइज्ड राशनकार्ड को एक निश्चित तिथि को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। इन्हें लागू करने की तिथि की घोषणा अलग से की जा रही है। डिजिटाइज्ड राशनकार्ड तैयार करने वाली सेवा प्रदाताओं की अनुबंध/कार्यावधी दिनांक 30-09-2014 को समाप्त हो गयी है। श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09-12-2014 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में निम्न निर्देश दिए जाते हैं-

1. संवेदकों द्वारा उपलब्ध करवाने से शेष रहे डीआरसी के संबंध में फिलहाल विभागीय स्तर से प्राधिकृत अधिकारियों के मार्फत डीआरसी मुद्रित कर वितरण करवाया जाना है इस संबंध में दिनांक 30-09-2014 तक प्राप्त हुए आवेदन जिन पर राशनकार्ड जारी नहीं हुए हो, को विभाग द्वारा राशनकार्ड जारी किये जाने पर दिनांक 31-03-2015 तक एपीएल श्रेणी हेतु शुल्क पूर्वानुसार 10/- रुपये लिया जायेगा तथा शेष अन्य सभी श्रेणी के राशनकार्ड निःशुल्क दिए जायेंगे।
2. भामाशाह केम्प में तैयारशुदा राशनकार्ड में शुद्धीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधित राशनकार्ड जारी करने का कार्य सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 31.03.2015 तक निःशुल्क किया जावेगा।
3. दिनांक 30-09-2014 तक प्राप्त हुए आवेदन पर तैयारशुदा राशनकार्ड में त्रुटि कार्यकारी एजेन्सी के स्तर पर पाये जाने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा। ऐसे सभी राशन कार्ड के संशोधन के लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। त्रुटि, आवेदक द्वारा गलत/अपूर्ण सूचना भरने के कारण पायी जाने पर भी संशोधित राशन कार्ड तैयार करने का शुल्क एपीएल परिवारों को 10/- रुपये मात्र एवं शेष को निःशुल्क वितरण होगा।
4. 1 अप्रैल 2015 अथवा भावी निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्धन और परिवर्तन करने का कार्य राजस्थान के समस्त ई-मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जायेगा।
5. ई-मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से राशनकार्ड आवेदन लिए जाने व तैयारशुदा राशनकार्ड की सुपर्दगी हेतु लिए जाने वाले शुल्क की घोषणा सक्षम स्तर पर निर्णय लिए जाने के उपरांत की जावेगी।
6. विभागीय स्तर पर राशन कार्ड वितरण के लिए पूर्व मुद्रित स्टेशनरी विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

7. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी के पास एक 'मशीन विद मेन' विभागीय उपलब्ध हो। विभाग द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी स्विकृति के तहत सेवा में लिए गये 'मशीन विद मेन' को तहसीलों से हटाकर प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ नियोजित किया जायेगा।
8. 'मशीन विद मेन' को पारिश्रमिक का भुगतान भी बजट मद 3456-00-102-01-08-39, 3456-00-789-01-03-39, 3456-00-796-01-03-39 (डीआरसी हेतु) से किया जायेगा।
9. प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर, ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन, कागज, रजिस्टर आदि का उपयोग किया जायेगा। उपभोग के लिए आवर्ती व्यय बजट मद 3456-00-102-01-08-39, 3456-00-789-01-03-39, 3456-00-796-01-03-39 (डीआरसी हेतु) से किया जाना अनुमत होगा।
10. 1 अप्रैल, 2015 अथवा भावी निर्धारित तिथि से नवीन/डूप्लीकेट राशन कार्ड तथा राशन कार्ड में संशोधन करने का कार्य ई-मित्र / सीएससी कियोस्क के मार्फत किए जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया होगी:-

### राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया व जानकारी

#### पात्रता

राज्य का प्रत्येक निवासी परन्तु भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा नेपाली या अन्य देशों के नागरिकों को राशनकार्ड जारी नहीं किये जाते हैं।

#### आवेदन पत्र कहां उपलब्ध होंगे?

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में (कार्यालय कार्य समय पर) एवं ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर। साथ ही खाद्य विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

#### प्राधिकृत अधिकारी का विवरण जहां आवेदन किया जाना है

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
1	जिला मुख्यालय का नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका	जिला रसद अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी
2	जिला मुख्यालय के अलावा नगरपालिका	अधिशायी अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिका
3	ग्रामीण क्षेत्र	विकास अधिकारी (संबन्धित पंचायत समिति)

#### श्रेणीवार राशन कार्ड का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्ड का विवरण	जारी करने के विभागीय शुल्क	ई-मित्र/सीएससी का सेवा शुल्क
1	एपीएल योजना (गरीबी रेखा से उपर)	कवर पेज सफेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र पीकोक ब्लू रंग का।	10/- रुपये	
2	बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे)	कवर पेज सफेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र गुलाबी रंग का।	निःशुल्क	
3	अन्त्योदय अन्न योजना (गरीबी रेखा से नीचे में भी निर्धनतम)	कवर पेज सफेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र पीले रंग का।		
4	स्टेट बीपीएल	कवर पेज सफेद रंग का जिसका बोर्डर एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र हरे रंग का।		
5	अन्नपूर्णा योजना अधिकारिता कार्ड	बाहरी आवरण पूरा गुलाबी रंग का एवं उस पर अंकित राजस्थान का मानचित्र सफेद रंग का।		

## ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर आवेदन की प्रक्रिया

1. ई-मित्र/सीएससी कियोस्क पर आवेदन करने एवं आवेदक को तैयार राशनकार्ड सुपर्दगी कराने की समस्त प्रक्रिया सात दिवस में पूर्ण की जावेगी। इस कार्य को सम्पादित करने हेतु कियोस्को का कार्यक्षेत्र शहरी क्षेत्र में उसी नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के ई-मित्र/सीएससी कियोस्क का एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसी पंचायत समिति स्तर के कियोस्क का रहेगा।
2. कियोस्कधारी सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी से निर्धारित आवेदन फार्म एवं अन्य स्टेशनरी प्राप्त कर सकेंगे।
3. भरा हुआ आवेदन फार्म परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं कियोस्कधारी को दिया जाने पर ही आवेदन लिया जावेगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा अपूर्ण आवेदन फार्म प्रस्तुत करने पर कियोस्कधारी द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. कियोस्कधारी के द्वारा यह जाँच कर आवेदन फार्म प्राप्त किया जावेगा कि आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ है तथा समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदन फार्म सम्पूर्ण रूप से भरा होने तथा आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित होने एवं वांछित दस्तावेज आवेदक के द्वारा स्वप्रमाणित होने की संतुष्टि होने के उपरान्त ही कियोस्कधारी ऑनलाईन प्रविष्टि करेगा।
5. आवेदक ऑनलाईन प्रविष्टियों को कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखकर एवं सत्यापित कर, कियोस्कधारी के आवेदन को ऑनलाईन सबमिट करने की पुष्टि करेगा। तदुपरान्त कियोस्कधारी आवेदन को ऑनलाईन सबमिट कर आवेदन फार्म प्राप्त तथा निर्धारित ई-मित्र/सीएससी का सेवा शुल्क प्राप्त की कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी करेगा। ई-मित्र/सीएससी पर ऑनलाईन प्रविष्टियों का सेवा शुल्क फार्म प्राप्त के समय ही लिया जावेगा यद्यपि राशनकार्ड के खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क, तैयार राशनकार्ड की सुपर्दगी पर ही लिए जा सकेंगे। कियोस्कधारी आवेदक का ई-मेल पता या मोबाईल नम्बर अथवा दोनों आवश्यक रूप से आवेदन फार्म में अंकित करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे जिससे आवेदन फार्म में कमी पाये जाने अथवा कार्य सम्पन्न होने की सूचना दी जा सके। तथापि आवेदक के पास ईमेल पता या मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं होने पर भी आवेदन फार्म लिया जा सकेगा।
6. कियोस्कधारी प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को स्केन कर तत्काल प्रभाव से अपलोड करेगा जिस पर सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी किये जायेंगे। नागरिक के आवेदन फार्म पर प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र डिजिटल सिग्नेचर से राशन कार्ड के पेज संख्या 1 व 20 की पीडीएफ इमेज जारी करेंगे जो कियोस्कधारी को ऑनलाईन प्राप्त होगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन फार्म में कोई कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित कियोस्कधारी को इस बाबत तत्काल ऑनलाईन सूचित कर दिया जावेगा एवं कियोस्कधारी द्वारा आवेदक से कमी की पूर्ति कराने के बाद ही आवेदन फार्म पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
7. आवेदक के तैयारशुदा राशनकार्ड की प्राप्ति हेतु आने पर कियोस्कधारी प्रिन्ट लेने से पूर्व आवेदक से वार्तालाप कर राशनकार्ड की प्रविष्टियों के सही होने की पुष्टि कराते हुये डिजिटल सिग्नेचर युक्त सम्बन्धित इमेज का लेजर प्रिन्टर से प्रिन्ट निकाल कर राशनकार्ड पुस्तिका में स्टेपल करेगा। राशन कार्ड की पूर्व मुद्रित सामग्री कियोस्कधारी को सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। आवेदक के द्वारा राशनकार्ड सुपर्दगी के पश्चात भी यदि कोई त्रुटि बतायी जाती है और वह त्रुटि यदि कियोस्कधारी की गलत प्रविष्टियों के कारण है तो राशनकार्ड दुरुस्तीकरण के सम्बन्ध में आवेदक से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जावेगा।
8. कियोस्कधारी प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को स्केन करने के बाद समुचित रूप से स्टेपल कर उस पर कम्प्यूटरीकृत रसीद का क्रमांक/दिनांक अंकित करेगा तथा एक पत्रावली में नत्थी कर सुरक्षित

रखेगा। यह पत्रावली कियोस्कधारी सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

9. नागरिक को तैयार शुदा राशनकार्ड की अपेक्षित सुपुर्दगी के समय मूल आवेदन पर आवेदक के प्राप्त के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा सुपुर्दगी के बाबत ऑनलाइन प्रविष्टी करेगा। सुपुर्दगी की ऑनलाइन प्रविष्टी के बाद ही राशनकार्ड मास्टर डेटा में परिलक्षित होगा।
10. नागरिक को आवेदन करने के बाद 30 दिवस में तैयार शुदा राशनकार्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा।
11. योजना के सफल संचालन हेतु समय समय पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश कियोस्कधारी के लिए बाध्यकारी होंगे।

**राशनकार्ड से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य व उनके साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का**

**विवरण**

क्र. सं.	कार्य	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	समय	शुल्क	ई-मित्र / सीएससी का सेवा शुल्क
1	नवीन राशनकार्ड जारी करना (पूर्व में भारतवर्ष में कही पर भी राशनकार्ड जारी नहीं होने पर)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- एपीएल श्रेणी हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र अ-1 एवं अन्य श्रेणियों (बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा) हेतु प्रपत्र अ-11 (गुलाबी फार्म)</li> <li>2- परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साईज फोटो।</li> <li>3- सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा जिलापरिषद/नगर पालिका-परिषद-निगम/ पंचायत समिति सरपंच/वार्ड पार्षद/सरपंच पटवारी ग्राम सेवक/ राज पत्रित अधिकारी व केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सेक्टर/पोस्ट/डिवीजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा से प्रमाणित आवेदन फार्म मय फोटो प्रमाणीकरण।</li> <li>4- भारतीय नागरिक होने के सम्बन्ध में फोटो पहचान पत्र यथा पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति। कोई एक।</li> <li>5- निवास बाबत बिजली बिल/पानी बिल/गृहकर की रसीद मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। (कोई एक)</li> <li>6- किरायेदार होने पर किरायानामा एवं मकान मालिक के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर साथ में मकान मालिक बिजली/पानी (कोई एक) के बिल की प्रति।</li> </ol>	7 दिवस		
2	राजस्थान के एक ही शहर/पंचायत समिति में निवास पता परिवर्तन करने पर या	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रपत्र "ब" आवेदन में मय मूल राशन कार्ड मय फोटो प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 3 व 7(ड), 7(ज), 7(झ), व (ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है।</li> <li>2- निवास बाबत बिजली बिल/पानी बिल/गृहकर की</li> </ol>	3 दिवस		

	राजस्थान के अन्य जिले में निवास करने के कारण पता परिवर्तन करने के सम्बन्ध में	रसीद मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। (कोई एक) या किरायेदार होने पर किरायानामा एवं मकान मालिक के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर साथ में मकान मालिक बिजली/पानी (कोई एक) के बिल की प्रति।			
3	डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने के सम्बन्ध में	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- आवेदन निर्धारित प्रपत्र "ब" में मय फोटो किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 2, 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है।</li> <li>2- यदि डुप्लीकेट राशनकार्ड कटा/फटा या विरूपित होने के कारण जारी करवाया जा रहा हो तो आवेदन पत्र के साथ कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड संलग्न करना होगा।</li> <li>3- यदि डुप्लीकेट राशनकार्ड खोने की स्थिति में बनवाया जा रहा हो तो राशनकार्ड मिल जाने पर जमा कराने का/उचित मूल्य दुकानदार को राशनकार्ड खोने की सूचना देने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र एवं यथासम्भव पुराने राशनकार्ड की फोटोप्रति संलग्न की जावे।</li> </ol>	3	दिवस	
4	जारी राशनकार्ड में नाम जोड़ना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 4 व 7(घ), 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है।</li> <li>2- राशनकार्ड में यूनिटों की वृद्धि बाबत बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र/बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति व नवविवाहित महिला हेतु उसके परिवार राशनकार्ड से नाम कम करवाने का प्रमाण पत्र समर्पण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। नव विवाहित महिला का नाम भारत में किसी भी राशनकार्ड में अंकित नहीं हो तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न की जावे।</li> </ol>	3	दिवस	
5	जारी राशनकार्ड में नाम घटाना कतिपय यूनिट का समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करना। या मुखिया की मृत्यु होने पर मुखिया के नाम में परिवर्तन या	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 5 व 7(च), 7(ज), 7(झ) व 7(ञ) आवश्यक रूप से भरा जाना है।</li> <li>2- राशनकार्ड में अंकित सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण की आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित फोटोप्रति।</li> <li>3- मुखिया की मृत्यु होने पर मुखिया के नाम को विलोपित करते हुए घर के वरिष्ठ सदस्य के नाम परिवर्धित राशनकार्ड जारी किया जावेगा। आवेदन भी वरिष्ठ सदस्य को ही करना होगा।</li> </ol>	3	दिवस	

	राशनकार्ड का विभक्तिकरण	<p>4- तलाक होने की स्थिति में तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति।</p> <p>5- तलाकशुदा/परित्यक्ता होने की स्थिति में स्त्रियां अपने पति के राशन कार्ड में से नाम हटाने के लिए स्वयं आवेदन कर सकेगी तथा समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगी। किन्तु इस हेतु स्व प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा।</p> <p>नोट- राशनकार्ड के विभक्तिकरण के लिए भी वांछित यूनिटों के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। बी०पी०एल०/एस०बी०पी०एल०/अन्त्योदय परिवार कार्ड में दर्ज किन्ही सदस्यों (मुखिया के अतिरिक्त) के अलग होने की स्थिति में अन्य अलग हुये सदस्यों को बी०पी०एल०/एस०बी०पी०एल०/अन्त्योदय परिवार कार्ड जारी नहीं किया जायेगा। परिवार कार्ड से कुछ सदस्यों के अलग होने पर ऐसे सदस्यों का राशन कार्ड एपीएल श्रेणी के तहत ही जारी किया जायेगा।</p>			
6	जारी राशनकार्ड की प्रविष्टियों की त्रुटि एवं विशिष्टियां यथा उचित मूल्य दुकान का नाम/गैस कनेक्शन का प्रकार/आयकर का संशोधन/परिवर्धन	<p>1- प्रपत्र "ब" आवेदन मय मूल राशन कार्ड भर कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 6 व 7 में अंकित शुद्धिकरण से सम्बंधित घोषणाएं आवश्यक रूप से भरा जाना है।</p> <p>2- नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।</p> <p>3- उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।</p> <p>4- वांछित त्रुटि एवं विशिष्टी के संशोधन के लिए आवेदक को मूल राशनकार्ड पर त्रुटि एवं विशिष्टी को गोला करके सही विशिष्टी स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित कर ही आवेदन के साथ मूल राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।</p>	3 दिवस		
7	राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में निवास परिवर्तन के कारण राशन कार्ड जमा कराकर समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में	<p>1- आवेदन निर्धारित प्रपत्र "ब" में मय फोटो किया जावेगा। प्रपत्र "ब" का बिंदु 1, 3, व 7(ज) आवश्यक रूप से भरा जाना है।</p> <p>नोट- अन्यत्र निवास करने की स्थिति में राशनकार्डधारक को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में मूल राशनकार्ड 15 दिवस में जमा कराकर समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।</p>	3 दिवस		

**प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार** - प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न अधिकारियों व कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु तथा प्रचार प्रसार हेतु अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : प्रपत्र ब का प्रारूप व समर्पण प्रमाण पत्र का प्रारूप

  
(सुबोध अग्रवाल) 21/02/15


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:एफ.97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2014

जयपुर, दिनांक: 21/2/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वे जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों यथा- तहसीलदार/विकास अधिकारी/नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित/निर्देशित करें।
9. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग मुख्यालय।
10. प्रोग्रामर खाद्य विभाग जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड व सम्बंधित को ईमेल करने हेतु।
11. रक्षा पत्रिका।
12. तकनीकी निदेशक, NIC, Jaipur,

  
(जस्साराज चौधरी)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त